कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक – उनि/सशि/एफ-501/निशु/पापु/2020-21/ 404 दिनांक -09/07/2020

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,

विषय :– **शैक्षिक सत्र 2020–21 में ब्लॉक नोडल विद्यालय से पीईईओ/शहरी नोडल विद्यालयों तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक परिवहन के संबंध में।**

प्रसंग :– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 360 दिनांक 24.06.2020 एवं 375 दिनांक 25.06.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा शैक्षिक सत्र 2020–21 में ब्लॉक नोडल विद्यालय से पीईईओ/शहरी नोडल विद्यालयों तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक परिवहन निविदा आमंत्रित कर वितरण बाबत निर्देश जारी किए गए थे।

यह ध्यान मे आया है कि कतिपय जिलों में निविदा संबंधित सूचना/विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी कुछ पीईईओ/शहरी नोडल विद्यालय ब्लॉक नोडल विद्यालय से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें अपने स्तर पर ले जा रहे है, जो कि पूर्णतया अनुचित है। निर्देशित किया जाता है कि जिन पीईईओ/शहरी नोडल द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का परिवहन ब्लॉक नोडल से स्वयं के विद्यालय/नोडल तक अपने स्तर पर किया है, उसका भुगतान विद्यालय छात्र कोष/एसडीएमसी अथवा किसी अन्य मद से नही किया जाए।

अधीनस्थ ब्लॉक नोडल प्रभारी एवं पीईईओ/शहरी नोडल प्रभारी को पाबन्द करे कि जिन परिवहनकर्ताओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के परिवहन बाबत कार्यआदेश जारी किया जाता है उन्हीं के वाहन के माध्यम से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का परिवहन किया जाए। परिवहनकर्ता को उन्हीं निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के परिवहन का भुगतान किया जाए जिनकों ब्लॉक नोडल विद्याालय से निर्धारित पीईईओ/शहरी नोडल विद्यालयों तक पहुंचाने के उपरान्त संबंधित नोडल से प्राप्ति प्रस्तुत की है।

www.rajteachers.com

उपनिदेशक
समाज शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
2. समस्त मण्डल संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
4. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
समाज शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

CS Scanned with CamScanner